

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276842
SG-DL-E-06102026-276842असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2026/अश्विन 13, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 244
No. 301]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948	[N. C. T. D. No. 244

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIबाट एवं माप विभाग
(विधिक माप विज्ञान विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2026

फा. सं. 12(3)/W&M/Enforcement/2026/1452.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 की उपधारा (1) को उपधारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित तथा धारा 24 की उपधारा (3) को धारा 2 के खंड (त) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा दिल्ली विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2026 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

दिल्ली विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) संशोधन नियम, 2026

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन-

दिल्ली विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2026 (जिसे आगे “मूल नियम” कहा गया है) के नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(h) “स्व-प्रमाणन” (Self-Certification) से आशय उस उपयोगकर्ता/स्वामी, जो किसी बाट या माप के पुनःसत्यापन के लिए उत्तरदायी है, नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्ररूप और रीति में की गई ऐसी घोषणा से है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बाट या माप अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उनके अधीन निर्धारित मानकों या विनिर्देशों की लागू आवश्यकताओं के अनुरूप है;

(i) “जोखिम श्रेणी” (Risk Category) से आशय ऐसी विनियामक वर्गीकरण प्रणाली से है, जिसके अंतर्गत यंत्रों को उनकी जटिलता, घिसावट या धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशीलता तथा उपभोक्ताओं और व्यापार पर उनके समग्र प्रभाव के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है।”

3. नियम 5 का संशोधन-

(1) मूल नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) में,—

“प्रति बाट या माप प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (₹2,50,000/-) का शुल्क देय होगा”

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“बाट या माप की प्रत्येक उपकरण श्रेणी के संबंध में दो लाख रुपये (₹2,00,000/-) का शुल्क देय होगा।”

(2) मूल नियमों के नियम 5 के उप-नियम (6) में,—

“इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुमोदन प्रारंभ में एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी और तत्पश्चात् इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप में नवीकृत की जा सकेगी।”

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुमोदन तब तक निरंतर वैध रहेगी, जब तक कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियंत्रक द्वारा उसे निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता:

परंतु यह कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रथम माह के दौरान बाट या माप की प्रत्येक उपकरण श्रेणी के संबंध में दस हजार रुपये (₹10,000/-) का वार्षिक शुल्क अदा किया जाएगा।”

4. नियम 6 का लोप -

मूल नियमों के नियम 6 का लोप किया जाएगा।

5. द्वितीय अनुसूची का संशोधन -

मूल नियमों की द्वितीय अनुसूची में, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन के लिए आवेदन में,—

“प्रति बाट या माप प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (₹2,50,000/-) का शुल्क देय होगा”

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“बाट या माप की प्रत्येक उपकरण श्रेणी के संबंध में दो लाख रुपये (₹2,00,000/-) का शुल्क देय होगा।”

6. चतुर्थ अनुसूची का संशोधन -

मूल नियमों की चतुर्थ अनुसूची में, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र में,—

“वैधता की अवधि:”

शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. छठी अनुसूची का प्रतिस्थापन -

मूल नियमों की छठी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

छठी अनुसूची [नियम 20 देखें]

सत्यापन एवं मुद्रांकन के लिए जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण

क्र. सं.	जोखिम का वर्गीकरण	बाट एवं माप संबंधी वस्तुएँ
01	उच्च जोखिम	1. उच्च शुद्धता वर्ग तथा विशेष शुद्धता वाले यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक, दोनों प्रकार के वर्ग I एवं II के तौल यंत्र। 2. टोटलाइजिंग मशीन। 3. आयतनमितीय मापन यंत्र। 4. फ्लो/बल्क मीटर। 5. स्वचालित रेल वेब्रिज। 6. स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग यंत्र (जिसमें मिलीलीटर या लीटर अथवा उसके गुणकों में भरने वाले यंत्र सम्मिलित हैं)। 7. असतत टोटलाइजिंग स्वचालित तौल यंत्र (टोटलाइजिंग हॉपर वेट्स)। 8. संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas)। 9. ऑटो एलपीजी। 10. गति में स्वचालित सड़क वेब्रिज। 11. जल के अतिरिक्त अन्य तरल पदार्थों के लिए तरल मापन प्रणालियाँ। 12. टैंक ट्रक। 13. विद्युत मीटर। 14. रक्तचाप मापने का यंत्र। 15. गैस मीटर।
02	मध्यम जोखिम	1. बुलियन एवं कैरेट बाट। 2. बीम स्केल, वर्ग A एवं B। 3. बीम स्केल, वर्ग C एवं D। 4. पेग या मदिरा माप। 5. साधारण एवं मध्यम शुद्धता वर्ग III एवं IV से संबंधित गैर-स्वचालित यांत्रिक (एनालॉग संकेत) / डिजिटल तौल यंत्र। 6. तेल की मात्रा के मापन में उपयोग होने वाले टेप। 7. क्लिनिकल थर्मामीटर। 8. उच्च क्षमता वाली तौल मशीनों के लिए बाट। 9. लोड सेल। 10. वाहनों के लिए गति मीटर।
03	निम्न जोखिम	1. बाट (बुलियन बाट, कैरेट बाट तथा उच्च क्षमता वाली तौल मशीनों के लिए बाट के अतिरिक्त)। 2. काउंटर मशीन।

क्र. सं.	जोखिम का वर्गीकरण	बाट एवं माप संबंधी वस्तुएँ
		3. जल मीटर। 4. सर्वे चेन। 5. ठ्यूब्युलर बैलेंस। 6. उद्योगों द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए प्रयुक्त तौल स्केल। 7. तरल क्षमता माप (दूध संग्रह केन्द्र, खाद्य तेल व्यापार, रासायनिक उद्योग, प्रयोगशालाएँ तथा तरल उत्पाद पैकेजिंग)। 8. लंबाई माप (गैर-लचीले) (निर्माण, बढईगीरी, कार्यशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक मापन के लिए)। 9. फोल्डिंग स्केल (बढईगीरी, फर्नीचर निर्माण, निर्माण कार्य एवं इंजीनियरिंग कार्यशालाओं के लिए)। 10. कपड़े या प्लास्टिक के टेप माप (सिलाई, परिधान निर्माण, वस्त्र व्यापार, आंतरिक सज्जा एवं सामान्य मापन कार्य के लिए)। 11. घरेलू बाट एवं माप। 12. रसोई तौल स्केल। 13. बाथरूम स्केल। 14. व्यक्ति तौलने की मशीन। 15. शिशु या बालक तौलने के स्केल। 16. चेक वेटिंग एवं वजन ग्रेडिंग मशीनें। 17. भंडारण टैंक। 18. रैखिक मापन यंत्र। 19. सतत टोटलाइजिंग स्वचालित तौल यंत्र (बेल्ट वेट्स)।

पंकज कुमार, आई.ए.एस. नियंत्रक

टिप्पणी: (1) मूल नियम दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-II, SG-DL-E-14092026-276179, संख्या-270, एन.सी.टी.सी. संख्या 209, दिनांक 12 सितम्बर, 2026 में प्रकाशित किए गए थे।

(2) इन नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति या संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण अभिभावी होगा।

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT

(Department of Legal Metrology)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2026

F. No. 12(3)/W&M/Enforcement/2026/1452.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 53 and sub-section (3) of section 24 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendment in the Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026 namely;

DELHI LEGAL METROLOGY (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE)**AMENDMENT RULES, 2026****1. Short title and commencement —**

(1) These rules shall be called the **Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Amendment Rules, 2026**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 2 -

In the Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026 (hereinafter referred to as the “principal rules”), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(h) “**Self-Certification**” means a declaration by the user/owner responsible for re-verification of a weight or measure, in such form and manner as may be specified by the Controller, certifying that such weight or measure conforms to the applicable requirements of the Act, the rules made thereunder and the standards or specifications prescribed thereunder;

(i) “**Risk Category**” means a regulatory classification system to group instruments based on their complexity, susceptibility to wear or fraud, and their overall impact on consumers and trade”.

3. Amendment of Rule 5 —

(1) In rule 5 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words—

“A fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year will be paid”

the following words shall be substituted, namely:—

“A fee of Rs. Two Lakh (Rs. 2,00,000/-) in respect of each equipment category of weight or measure will be paid”.

(2) In rule 5 of the principal rules, in sub-rule (6), for the words—

“Approval granted under these rules shall initially remain valid for a period of one calendar year and may thereafter be renewed as specified in these rules.”

the following words shall be substituted, namely:—

“The approval granted under these rules shall remain valid perpetually unless suspended or revoked by the Controller in accordance with the provisions of these rules:

Provided that the Government Approved Test Centre shall pay an annual fee of Rupees Ten Thousand (₹ 10,000/-) in respect of each equipment category of weight or measure per year, during the first month of every calendar year”.

4. Omission of rule 6 —

Rule 6 of the principal rules shall be omitted.

5. Amendment of Second Schedule —

In the Second Schedule to the principal rules, in the **Application for Approval of Government Approved Test Centre**, for the words—

“A fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year will be paid”

the following words shall be substituted, namely:—

“A fee of Rs. Two Lakh (Rs. 2,00,000/-) in respect of each equipment category of weight or measure will be paid”.

6. Amendment of Fourth Schedule —

In the Fourth Schedule to the principal rules, in the **Certificate of Government Approved Test Centre**, the words—

“Valid up to:.....”

shall be omitted.

7. Substitution of Sixth Schedule.—

For the Sixth Schedule to the principal rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SIXTH SCHEDULE [See rule 20]**CLASSIFICATION OF RISK CATEGORY FOR VERIFICATION AND STAMPING**

Sl. No	Classification of Risk	Weights and Measures articles
01	High Risk	1. Weighing instruments, of high accuracy class and special accuracy both mechanical and electronics class I & II. 2. Totalizing Machine 3. Volumetric measuring instruments 4. Flow / Bulk meters 5. Automatic Rail weighbridge 6. Automatic Gravimetric Filling Instruments (it includes fill in ml or liter or in Multiples thereto) 7. Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (Totalizing Hopper Weights) 8. Compressed Natural Gas 9. Auto LPG 10. Automatic in motion road weigh bridge 11. Liquid measuring systems other than water 12. Tank Trucks 13. Electricity meter 14. Blood Pressure Measuring instrument 15. Gas Meter
02	Medium Risk	1. Bullion & Carat Weights 2. Beam Scale Class A & B 3. Beam Scale Class C & D 4. Peg or liquor measure 5. Non-Automatic weighing Instruments, mechanical (analogue indication) / digital belonging to ordinary and medium accuracy class III & IV 6. Tapes for use in measurement of Oil quantities 7. Clinical Thermometer 8. Weights for high capacity weighing machines 9. Load Cell 10. Speed Meter for Vehicle
03	Low Risk	1. Weights (Other than Bullion Weights, Carat Weights & Weights for high capacity weighing machines) 2. Counter Machine 3. Water Meter 4. Survey Chain

		5. Tubular balance 6. Weighing Scales used by Industries for Internal Use 7. Liquid Capacity Measures (Milk Collection Centre, Edible Oil Trade, Chemical Industries, Laboratories and liquid product packaging) 8. Length Measures (Non-Flexible) (Construction, Carpentry, workshops, educational institutions and industrial measurement) 9. Folding Scales (Carpentry, Furniture making, construction, engineering workshops) 10. Fabric or Plastic Tape Measures (Tailoring, garment manufacturing, textile trade, interior decoration and general measurement work) 11. Domestic Weights and Measures 12. Kitchen Scale 13. Bathroom Scales 14. Person weighing machine 15. Baby or child weighing Scales 16. Check Weighing and Weight Grading Machines 17. Storage Tank 18. Linear Measuring Instruments 19. Continuous totalizing automatic weighing Instruments (Belt Weights)
--	--	---

PANKAJ KUMAR, IAS/Controller

Note: (1) The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part II, SG-DL-E-14092026-276179, No-270, N.C.T.C. NO. 209, dated the 12th September, 2026.

(2) In case of any discrepancy or doubt regarding the interpretation of the Hindi and English versions of these Rules, the English version shall prevail.